

अधिकारी अ-नं २/१७५/१०
होने से प्रकरण दिनांक २५/१०/२५
को पेश हों।

आज्ञा से
२५
रीडर

25.10.24

प्रवावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए
प्रकरण साक्ष्यवादी हेतु नियत ही न्यायालय द्वारा कब-
कब कर कई बार आवाम लगवाई गई बावजूद शेष
कोर्ट उपस्थित नहीं हुआ है। जिसके कारण है कि वादी
अपने वाद के जीत गंभीर नहीं है तथा वाद चलाना नहीं
चाहता है।

धन : वादी का वाद अदम हाजत अदम फरनी के
इसी धर पर खरिज किया जाना है निर्णय ले इजलास
सुनाया गया प्रकरण फैलल शुमार एका नम्बर से अदालत

०५
(रियासत)
2/15